न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या 02 /2020

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. गंगा पुत्री विपती पत्नी ज्वाला जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भोंट तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. त्रिवेणी पुत्री विपती पत्नी आशाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मौरोदा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत साबिक आराजी खसरा नम्बर 80 रकवा 3.08 वीघा वाकै ग्राम मौरोदा तहसील कुम्हेर

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार
2–श्री दुलीचन्द शर्मा, एडवोकेट अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 02.09.2021

प्रार्थी तहसीलदार कुम्हेर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत साबिक आराजी खसरा नम्बर 80 रकवा 3.08 वीघा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हाल खसरा नम्बर 17/0.28 है0 एवं 18/0.10 है0 वाकै ग्राम मौरोदा तहसील कुम्हेर विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रैफरेंस दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुना जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.07.2014 को रैफरेंस स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कर निवेदन किया गया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 80 रकवा 3.08 के बने हाल खसरा नम्बर 17 रकवा 0.28 है0, 18/0.10 है0 पर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आज्ञा/नामान्तरकरण के अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3 के पिता विपती पुत्र दीपा के इन्द्राज खातेदारी निरस्त किये जाकर आराजी राजस्व रिकार्ड में पूर्व की भांति गैर मुमकिन पोखर मकबूजा सरकार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 09.07.2018 के द्वारा रैफरेंस स्वीकार करते हुये यह निर्देश दिये गये कि ग्राम मौरोदा तहसील कुम्हेर स्थित विवादित आराजी साबिक खसरा संख्या 80 रकवा 3.08 के कायम किये गये हाल खसरा संख्या 17 रकवा 0.28 हैक्टर, खसरा संख्या 18 रकवा 0.10 हैक्टर भूमि बाबत अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज खातेदारी को निरस्त करते हुये विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड में पुनः पूर्ववर्ती गैर मुमकिन पोखर सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये। अप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 09.07.2018 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अममेर में नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त नजरसानी प्रार्थना पत्र पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 25.08.2020 में नजरसानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है कि "प्रकरण में साबिक खसरा नम्बर 80 की भूमि की किस्म के सम्बन्ध में पुनः जांच करवा कर कि कितनी भूमि पोखर के रूप में दर्ज है, जो वर्तमान में खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, के सम्बन्ध में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

आवश्यक जांच बाद यदि उचित पाते है तो पुनः विधि अनुसार रैफरेंस मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करें"।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 25.08.2020 प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित आयें।

अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान के कथनों पर मनन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र नजरसानी के निर्णय दिनांक 25.08.2020 का अध्ययन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 25.08.2020 के पैरा संख्या 7 में स्पष्ट किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 80 के 2 वीघा वारानी भूमि का अलग एवं 1.08 वीघा भूमि का पोखर का अलग–अलग मिन नम्बर बनने चाहिये थे। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रैफरेसं में आराजी खसरा नम्बर 80 रकवा 2 वीघा एवं 1 वीघा 8 विस्वा गैरमुमकिन पोखर का कोई अलग नम्बर बनाया जाकर नहीं दर्शाया गया है तथा गत खसरा नम्बर 80 के रकवा से बने हाल खसरा नम्बर के रकवा की कमीवेसी के बाबत कोई उल्लेख नहीं है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2010 में आराजी खसरा नम्बर 80 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा पर कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त मूली हिस्सेदार दर्ज है एवं कॉलम संख्या 8 (भूमि वर्ग) में 2 वीघा बंजर कदीम व 1 बीघा 8 विस्वा गैममुमकिन पोखर दर्ज है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा प्रस्तुत रैफरेंस प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नम्बर 80 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा से आराजी खसरा नम्बर 17 रकवा 0.28 है0 एवं 18 रकवा 0.10 है0 बनना अवगत कराया है। परन्तु मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार साबिक नम्बर 80 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा से दो नये नम्बर बनना बताया है। जिनका कुल रकवा 0.38 है0 है। उपर्युक्त से सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बनाये गये नम्बरों में पुराने नम्बर की अपेक्षा रकवा में कमी होना स्पष्ट है परन्तु रकवा कमी के विषय में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

तहसीलदार कुम्हेर ने कोई जांच नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 25.08.2020 एवं उपर्युक्त विवरण अनुसार हम प्रकरण को तहसीलदार कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि रकवा कमी के सम्बन्ध में जांच कर प्रकरण रैफरेंस तैयार कर प्रस्तुत किया जावें।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थना पत्र रैफरेंस आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रकवा कमी के सम्बन्ध में जांच कर पुनः रैफरेस प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)